न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2025/315

1. बालमुकुन्द आत्मज नाथूलाल जाति तेली
2. बरधी बाई पुत्री नाथूलाल जाति तेली (मृतक)
   2/1 त्रिलोकचन्द राठौर पुत्र भंवरलाल राठौर
   2/2 माणकचन्द राठौर पुत्र भंवरलाल राठौर
   2/3 रामप्रसाद पुत्र भंवरलाल राठौर
   2/4 कन्हैयालाल पुत्र भंवरलाल राठौर
3. मदन बाई पुत्री नाथूलाल जाति तेली
4. सोहन लाल पुत्र नाथूलाल जाति तेली
   निवासीगण ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान

——अपीलान्ट

बनाम

1. शंभू आत्मज भवाना जाति गुर्जर निवासी ग्राम फाण्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
2. रामकिशन आत्मज भवाना जाति गुर्जर निवासी ग्राम फाण्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

——रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित :–
1. श्री बृज बिहारी गोचर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 25.11.2025

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा वाद संख्या 96/2024 में पारित निर्णय दिनांक 24.06.2025 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलांट ने अधीनस्थ

न्यायालय में कथन किया कि वादीगण के शामलाती खाते में ग्राम फान्दा पटवार हल्का देवलीकला भू–अभि नि० क्षेत्र देवलीकला तहसील रामगंजमण्डी में के माल में जमाबंदी ग्राम फान्दा सम्वत 2073 से 2076 जमाबंदी 2074 के अनुसार खाता संख्या 122 में स्थित खसरा नम्बर 381 रकबा 0.1600 हैक्टेयर कृषि भूमि चाही द्वितीय लगानी 4.9600 पैसे स्थित है। नकल जमाबंदी साथ संलग्न है। वादीगण नम्बर 5 की मृत्यु दिनांक 06.02.2007 को हो चुकी है जिसके वारिसान वादीगण नम्बर 1 लगायत 4 है। वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी को वादीगण नम्बर 1 लगायत 4 से प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 करीब 2–3 सालों से पांती काश्त करता चले आ रहे है। प्रतिवादीगण ने पिछले साल कहा था कि उक्त भूमि को हम पांती काश्त नही देना चाहते है। हमें हमारी आराजी को सम्भला देवें। इस पर प्रतिवादीगण ने कहा कि इस वर्ष और फसल करने दो पांति हमें दे ही रहे है। अगले साल 2023 माह 9 में कब्जा सम्भला देंगे, लेकिन प्रतिवादीगण के मन मे बदनियति आने से प्रतिवादीगण ने वादीगण को पांति भी नहीं दे रहा है और इस वर्ष 2023 मे वादीगण ने माह 9 में प्रतिवादीगण से कब्जा छोडना की कहा तो मना कर दिया और कहा हम ही इस भूमि को हाकेंगे। वादीगण नम्बर 1 लगायत 4 ने प्रतिवादीगण को दिनांक 10.10.2023 को वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी सम्भलाने को कहा कि तुमने 2023 में माह 9 मे कब्जा सम्भलायेंगे, लेकिन कब्जा नही सम्भलाया और पांति भी नहीं दी गई और कहा की उक्त भूमि हमारे खाते ही लगायेगे। तुम्हे जो करना हो कर लेना । वादीगण की भूमि पर प्रतिवादीगण ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है प्रतिवादीगण अतिक्रमी है, ट्रेसपासर है। उक्त भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कराकर वादीगण कब्जा पाने के अधिकारी है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादीगण को उक्त भूमि से बेदखल कराना अति आवश्यक है अन्यथा वादीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी रूप मे नही हो सकेगी वादीगण का जीवन यापन करना भी भारी पड जावेगा।

वाद कारण सर्वप्रथम 2023 को माह 9 मे वादीगण नम्बर 1 लगायत 4 ने प्रतिवादीगण को कब्जा सम्भलाने की कहा प्रतिवादीगण ने इंकार कर दिया और अंतिम बार दिनांक 10.10.2023 को कब्जा सम्भलाने की कहा तो मना कर दिया और कहा कि उक्त भूमि हमारे खाते ही लगायेगे तुम्हे जो करना हो कर लेना उसके बाद वाद कारण लगातार पैदा हो रहा है वादीगण का उक्त केस प्राईमा फेसाई केस है एवं सुविधाओं का संतुलन भी वादी के पक्ष में है। ऐसी स्थिति मे वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि वह माननीय न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण को वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी से बेदखल कराकर पुनःदखल प्राप्त करे तथा बेदखली से दखलयाबी तक का वार्षिक फसल का नुकसान भी प्राप्त करे । अधिकार क्षेत्र बेदखली हेतु वाद का मूल्यांकन 2,00,000 रू निश्चित किया गया है ।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि वादीगण नम्बर 1 लगायत 4 के हक मे प्रतिदादीगण खिलाफ इस निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमायी जावे। (अ) यह कि वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित वादीगण की खाता संख्या 122 में स्थित खसरा नम्बर 381 रकबा 0.1600 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा सम्भलाया जावें । (ब)–यह कि वादग्रस्त आराजी के कृषि के नुकसानी के रूप मे दखलयाबी तक प्रतिवर्ष के हिसाब से एक लाख रूपये प्रतिवादीगण से वादीगण को

दिलाया जावे। (स) यह कि वादग्रस्त आराजी से खातेदार पुष्पाबाई का नाम खाते से खारिज किया जावे। (स)– यह कि समस्त खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो भी वादीगण प्राप्त करने का अधिकारी हो प्रदान किया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.06.2025 के द्वारा वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद–पत्र गुणहीन एवं सारहीन होने से खारिज करने का आदेश पारित किया गया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.06.2025 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपील अन्दर मियाद पेश हुई। रेस्पोडेन्ट क्रम 01 लगायत 03 के नोटिस जारी किये। बावजूद सूचना रेस्पोडेन्ट कम 01 लगायत 03 अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी एकपक्षीय बहस में कथन करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण ने एक वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि वादीगण के शामलाती खाते में ग्राम फान्दा पटवार हल्का देवलीकला भू–अभि नि० क्षेत्र देवलीकला तहसील रामगंजमण्डी के माल में जमाबंदी ग्राम फान्दा सम्वत 2073 से 2076 जमाबंदी 2074 के अनुसार खाता संख्या 122 में स्थित खसरा नम्बर 381 रकबा 0.1600 हैक्टेयर कृषि भूमि चाही द्वितीय लगानी 4.9600 पैसे स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि से रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 की अपीलान्ट्स की कृषि भूमि पर से बेदखली बाबत सहायता चाही थी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली को फोरी तोर पर संदर्भित निर्णय पारित कर अपीलान्ट्स का दावा खारिज कर डिक्री जारी कर दी। वादीगण ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि अपीलान्ट्स के खाते व कब्जे काश्त की है तथा उक्त कृषि भूमि पर 50 वर्ष से भी अधिक समय से अपीलान्ट्स कृषि कार्य करते चले आ रहे है। उक्त कृषि भूमि अपीलान्ट्स को अपने पिता नाथूलाल जी से विरासत में प्राप्त हुई हैं इस कारण उपरोक्त कृषि भूमि के अपीलान्ट्स एब्सीलूट ऑनर है तथा किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त भूमि पर बिना किसी अधिकार के कब्जा करने अथवा कृषि करने का अधिकार नही है। दौराने दावा बरघी बाई की दिनांक 11.03.2025 को मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान 2/1 लगायत 2/4 है तथा पुष्पा बाई की मृत्यु 06.02.2007 को हो गई है जिसके वारिसान अपीलान्ट क्रम 1, 3 व 4 है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट द्वारा अपने वाद पत्र के साथ उसके द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर लगातार काश्त करने के संबंध में महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किये थे किन्तु विचारण न्यायालय ने वाद को गुणावगुण पर सुनने के स्थान पर मात्र बिना तनकी बनाये एवं बिना साक्ष्य लिये ही अपीलान्ट्स का वाद पत्र खारिज कर दिया, जो निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय ने विचारण के दौरान पटवारी हल्का की रिपोर्ट इस बाबत प्राप्त नही

की कि वादग्रस्त कृषि भूमि किसके खाते में रही है तथा उक्त कृषि भूमि पर कौन व्यक्ति कब से कृषि कर रहा है । इस बाबत किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट अथवा गवाहों के बयान करवाये बिना संदर्भित आदेश पारित कर दिया, जो निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोन्डेट्स को दावा दर्ज होने के पश्चात नोटिस जारी किये थे किन्तु बावजूद सम्यक तामील के रेस्पोन्डेटस न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये तथा अपना पक्ष भी नही रखा। ऐसी परिस्थिति में विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट्स का वाद स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नही था तथा अपीलान्ट्स द्वारा उनके वाद को भलिभांति न्यायालय में साबित कर दिया था इसके बावजूद विचारण न्यायालय संदर्भित आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अपीलान्ट्स ने विचारण न्यायालय के समक्ष स्पष्ट कर दिया था कि वादग्रस्त कृषि भूमि को मात्र मुनाफा पातीकाश्त पर रेस्पोन्डेन्ट क्रम 1 व 2 को अस्थायी तौर पर कुछ समय के लिये दिया था किन्तु रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 के मन मे बदयन्ती आने के कारण तथा अपीलान्ट्स के गरीब व कमजोर होने का फायदा उठाते हुये जबरन उनकी कृषि भूमि पर कब्जा कर लिया जबकि वादग्रस्त कृषि भूमि ही अपीलान्ट के परिवार की एकमात्र जीविका उपार्जन का साधन है, इस कारण अपीलान्ट वादग्रस्त कृषि भूमि पर रेस्पोन्डेट क्रम 1 व 2 द्वारा अतिकमी की हैसियत से जबरन किये गये अतिक्रमण को हटवाया जाना अतिआवश्यक है अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.06.2025 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट्स के खाते की कृषि भूमि पर से रेस्पोन्डेन्ट क्रम 1 व 2 को बेदखल करने का आदेश पारित फरमाये जाने की कृपा करे। अन्य न्यायोचित सहायता जो अपीलान्ट्स के पक्ष में उचित हो. वह प्रदान की जावें।

6. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया व अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रकरण में वादीगण अपीलांटस् द्वारा कथन किया गया कि वादीगण अपीलांटस् के शामलाती खाते में ग्राम फान्दा पटवार हल्का देवलीकला भू–अभि नि० क्षेत्र देवलीकला तहसील रामगंजमण्डी के माल में जमाबंदी ग्राम फान्दा सम्वत 2073 से 2076 जमाबंदी 2074 के अनुसार खाता संख्या 122 में स्थित खसरा नम्बर 381 रकबा 0.1600 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। वादग्रस्त कृषि भूमि अपीलान्ट्स के खाते व कब्जे काश्त की है तथा उक्त कृषि भूमि पर 50 वर्ष से भी अधिक समय से अपीलान्ट्स कृषि कार्य करते चले आ रहे है। उक्त कृषि भूमि अपीलान्ट्स को अपने पिता नाथूलाल जी से विरासत में प्राप्त हुई हैं इस कारण उपरोक्त कृषि भूमि के अपीलान्ट्स एब्सीलूट ऑनर है तथा किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त भूमि पर बिना किसी अधिकार के कब्जा करने अथवा कृषि करने का अधिकार नही है। उक्त वादग्रस्त भूमि से रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की अपीलान्ट्स की कृषि भूमि पर से बेदखली बाबत सहायता चाही थी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर अपीलान्ट्स का दावा खारिज कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार वाके ग्राम फान्दा पटवार हल्का देवलीकलां तहसील चेचट जिला कोटा की प्रश्नगत खसरा संख्या 381 की भूमि खाता संख्या नया 122 में पुष्पा बाई पत्नि नाथूलाल, बरधीबाई पुत्री नाथूलाल बालमुकुन्द पुत्र नाथूलाल, मदनबाई पुत्री नाथूलाल एवं सोहनलाल

पुत्र नाथूलाल की सहखातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी के संबंध में मौका रिपोर्ट तलब की जाकर न्यायिक प्रकिया का पालन करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पर तनकीयात कायम किये बिना ही वाद पत्र खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया गया है, जो सीपीसी आदेश 20 नियम 5 के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को साक्ष्य एवं सुनवाई को समुचित अवसर दिये जाने के निदेशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी, जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.06.2025 निरस्त किया जाता है। प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजी के सम्बंध में मौका रिपोर्ट तलब करते हुए तथा अपीलांटगण को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सीपीसी के आदेश 20 नियम 05 की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे परीक्षण न्यायालय में दिनांक 29.12.2025 को स्वंय उपस्थित हों ।

8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावें।

9. निर्णय आज दिनांक 25.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/11/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा